<u>खैर प्रकाश्ठ क्रय हेतु निविदा की षर्ते एवं प्रतिबन्ध</u>

1. **<u>निविदा भरना व जमा करना–</u>** निविदादाता को खैर प्रकाश्ठ क्रंय हेतु निविदा निर्धारित प्रारुप, में यथा स्थान लौट का कुल मूल्य को षब्दों तथा अंको में दर्ज करना होगा। संलग्न निविदा में प्रत्येक पृश्ठ पर निविदादाता के नाम व हस्ताक्षर आवष्यक हैं।

2. प्रत्येक डिपो हेतु पृथक–पृथक निविदायें निर्धारित प्रारुप में (संलग्न) ही स्वीकार की जायेंगी। किन्हीं दो डिपुओं की लौटों हेतु संयुक्त रुप से भरी हुई निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।

3. निविदा के साथ बन्धक धनराषि के रुप में कुल निविदा मूल्य के 2.5 प्रतिषत के बराबर धनराषि किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबन्ध निदेषक, उत्तरांचल वन विकास निगम के पदनाम निरुपित एवं हल्द्वानी/टनकपुर षाखा में देय हो (विपणन प्रभाग, हल्द्वानी अधिनस्थ निविदाओं के लिए हल्द्वानी षाखा तथा टनकपुर विपणन प्रभाग की निविदाओं के लिए टनकपुर षाखा) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। एवं इसका विवरण निविदा प्रपत्र संख्या–1 में दर्ज कर निविदा के सॉथ प्रस्तुत करना होगा। बन्धक राषि रहित निविदा स्वीकार्य नहीं होगी तथा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

4. निविदा स्वीकृत होने की दषा में निविदा मूल्य का 10 प्रतिषत धनराषि जमानत के रुप में सम्बन्धित डिपो में सूचना प्राप्ति के 3 दिन के अन्तर्गत जमा करनी होगी। जिसे बाद में विक्रय मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

5. बन्धक/जमानत धनराषि के रुप में पूर्व में जमा धनराषि किसी भी दषा में समायोजित नहीं की जायेगी। निविदा हेतु नियमानुसार पृथक से धनराषि जमा करनी होगी।

6. यद्यपि विक्रय हेतु मुद्रित लौट में नग,मात्रा एवं गुणवत्ता श्रेणी में पूर्ण सावधानी बरती गई है। तथापि निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित डिपो से इसकी पुश्टि अवष्य कर लें।

7. निविदा स्वीकृत होने एवं विक्रय मूल्य जमा करने के उपरान्त यदि निविदादाता को प्रकाश्ठ की नपत/मात्रा में सन्देह होता है तो वह सम्बन्धित प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम हल्द्वानी/टनकपुर को लिखित आवेदन करेंगे एवं लौट के कुल मूल्य का 1 प्रतिषत अथवा रुपये 100/– जो भी अधिक हो जमा करेंगे। तत्पष्चात नपत करने पर प्रष्नगत लौट के आयतन में यदि 2 प्रतिषत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो लौट की बिक्री निरस्त की जा सकती है। दो प्रतिषत से कम अन्तर पाये जाने पर बिक्री वैद्य मानी जायेगी।

8. निविदा हेतु निम्नानुसार प्रपत्र संलग्न कर प्रेशित करने अनिवार्य हैं –
   (क) निविदा प्रपत्र भरने सम्बन्धी निर्धारित पत्र
   (ख) निर्धारित निविदा प्रपत्र – मूल्य अंकन सहित
   (ग) निविदा षर्तों की हस्ताक्षरित प्रति (सहमति हेतु)

9. निविदा हेतु निविदा प्रपत्र में मूल्य अंकित कर प्रत्येक पृश्ठ में निविदादाता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

10. लौट की बिक्री हो जाने के बाद लकड़ी के ग्रेड़ गुड श्रेणी में केता की कोई षिकायत नहीं सुनी जायेगी। केता निविदा भली–भॉति प्रकाश्ठ का निरीक्षण कर/श्रेणी देखकर ही निविदा भरें।

क्रमषः– पेज 2 पर

11. उत्तरांचल वन विकास निगम/अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।

12. निविदाओं की स्वीकृति में पुराना प्रकाश्ठ अधिक खरीदने वाले तथा बल्क बायर(ठन्स्झ ठन्ल्म्त) को प्राथमिकता दी जायेगी।

13. सफलतम निविदादाता को निविदा में प्रस्तावित लौटों एवं मूल्य की स्वीकृति पंजीकृत ड़ाक/कोरियर के माधयम से प्रेशित की जायेगी। तथा केता को स्वीकृति प्रेशण से 24 दिन (प्रेशण का दिन छोड़कर) की अवधि में लौटों की अवषेश 87.50 प्रतिषत राषि प्रबन्ध निदेषक, उत्तरांचल वन विकास निगम के नाम बैक डाफ्ट एवं अन्य देय कर, आयकर, व्यापार कर एवं मण्डी कर का भुगतान प्रभागीय विपणन प्रबन्धक के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। वन विभाग को देय अभिवहन षुल्क का भुगतान नगद राषि के रुप में वास्तविक निकासी के समय करना होगा।

14. प्रकाश्ठ का अवषेश मूल्य (क्रम सं0 12 के अनुसार) विकय अनुमोदन जारी किये जाने के 10 दिन की अवधि के अर्न्तगत (अनुमोदन की तिथि छोड़कर)जमा किये जाने की दषा में प्रस्तावित मूल्य में 1 प्रतिषत की नगद छूट केता को अनुमन्य होगी।

15. प्रकाश्ठ को निकासी करने की अधिकतम अवधि निविदा स्वीकृति जारी किये जाने की तिथि से (प्रेशण की तिथि छोड़कर) 45 दिन होगी। यदि केता उक्त 45 दिन की अवधि तक प्रकाश्ठ की निकासी नहीं करता है तो अगले 15 दिन के लिए रु0 0.25 प्रतिषत अवषेश प्रकाश्ठ के मूल्य का प्लाट रेंट देने के पष्चात केता को निकासी दी जा सकेगी। 15 दिनों के पष्चात भी यदि केता द्वारा निकासी नहीं ली जाती है तो अगले 7 दिनों के लिए संबन्धित प्रभागीय विपणन प्रबन्धक तथा उसके अगले 15 दिनों के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक माल की निकासी की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। और इन अतिरिक्त दिवसों हेतु प्लाट रेट षुल्क लौट के षेश माल का 0.50 प्रतिषत होगा। यदि केता द्वारा इस निस्तारित अवधि में भी प्रकाश्ठ की निकासी नहीं ली जाती है तोः–

(अ) केता द्वारा उस लौट के लिए समस्त धनराषि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी।

(ब) डिपो में रखे हुए लौट के लिए समस्त वन उपज पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसे निगम केता को बिना सूचना दिये चाहें नीलाम द्वारा या अन्य माध्यम से निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके लिए केता को किसी भी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नहीं होगा।

16. वर्श 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 (दिनांक 31.03.2010 तक/पूर्व में डिपो में प्राप्त) के खैर प्रकाश्ठ विकय में निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य किया जाता है।

क्रेता द्वारा निम्नानुसार मात्रा क्रय करने पर	विक्रय मूल्य कर आदि जमा करने हेतु दिवस	निकासी हेतु अवधि/दिवस
90 घमी0 से 250 घमी0	10 दिन का अतिरिक्त समय	15 दिन का अतिरिक्त समय
251 घमी0 से 500 घमी0	10 दिन का अतिरिक्त समय	20 दिन का अतिरिक्त समय
500 घमी0 से अधिक	10 दिन का अतिरिक्त समय	30 दिन का अतिरिक्त समय

नोट :– (क) उपरोक्त विक्रय मात्रा ''एक विपणन प्रभाग–एक नीलाम/निविदा तिथि'' के आधार पर आगणित होगी।

(ख) उपरोक्त प्रोत्साहन अनुमन्यता खैर प्रकाश्ठ उत्पादन वर्श 07–08, 08–09 एवं 09–10 (दिनांक 31.03. 2010

तक/पूर्व में डिपो में प्राप्त) के लिए लागू की जाती है।

क्रमषः– पेज 3 पर

17. उपरोक्त देयकों की अन्तिम तिथि को राजकीय अवकाष होने की दषा में मूल्य भुगतान एवं निकासी की अवधि तद्नुसार बढ़ जायेगी।

18. भुगतान के सम्बन्ध में उत्तरांचल वन विकास निगम की छपी हुई डिपो अधिकारी/डिपो लेखाकार की हस्ताक्षरित रसीद ही मान्य होगी।

19. क्रेता को स्वंय अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही प्रकाश्ठ की निकासी दी जायेगी।

20. निविदा प्रपत्र में विक्रय सूचियों से जॉब संख्या एवं मात्रा दर्ज करने में यथासम्भव सावधानी वरती गयी है, फिर भी यदि कोई अन्तर हो तो निविदा जमा करते समय विक्रय सूची के अनुसार ही निविदा दी जाय।

21. सफलतम क्रेता एवं प्रभागीय विपणन प्रबन्धक के मध्य किसी विवाद के होने की दषा में क्षेत्रीय प्रबंधक (कु0क्षे0), उत्तरांचल वन विकास निगम, हल्द्वानी आर्बीट्रेटर होंगे। विवाद होने की दषा में प्रभावित पक्ष दस दिन की अवधि का नोटिस दूसरे पक्ष को देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक (कु0क्षे0), उत्तरांचल वन विकास निगम, हल्द्वानी को पंच निर्णय हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक (कु0क्षे0), उत्तरांचल वन विकास निगम, हल्द्वानी का आर्बीट्रेटर के रुप में निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक (कु0क्षे0),
उत्तरांचल वन विकास
निगम,
हल्द्वानी

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तरांचल वन विकास निगम,
हल्द्वानी।

विशय :– खैर प्रकाश्ठ की निविदा का प्रेशण।

संदर्भ :– आपके कार्यालय द्वारा निर्गत निविदा सूचना पत्रांक–…………………………दिनांक–

महोदय,

उपरोक्त विशयक निविदा के क्रम में मेरे द्वारा खैर प्रकाश्ठ के क्रय हेतु निविदा निर्धारित प्रारूप में पूर्णतया भरकर प्रेशित की जा रही है। प्रकाश्ठ को मौके पर देख लिया गया है एवं निविदा षर्तें पढ़ ली गयी हैं मैं निविदा षर्तों से सहमत हूँ तद्नुसार निर्धारित प्रारूप में निविदायें (यथास्थान हस्ताक्षर कर) प्रस्तुत हैं।

संलग्नक–1–निविदा प्रारूप…………………………पृश्ठ
2–नेक जमानत राषि के ड्राफ्टों की सं0……………..रू0–………………
3–निविदा षर्तों की सहमति हेतु हस्ताक्षरित प्रति

भवदीय,

हस्ताक्षर–
नाम–
पता–

दिनांक–

....

....

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)

(निविदा प्राप्त संख्या)

मेरे समक्ष निविदायें खोली गयीं
मेरे द्वारा निविदा खोली गयी

तार : वन निगम   फोन : कार्यालय : 289659

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम
गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी

पत्रांकः 1957 / खैर निविदा प्रकाषन / दिनांक–05 / 08 / 2010

सेवा में,

सम्पादक,
अमर उजाला / दैनिक जागरण / पंजाब केसरी
हिन्दुस्तान / टाईम्स आफ इण्डिया।

महोदय,

निम्न सूचना को सूचना विभाग द्वारा निर्धारित रेट कान्टेक्ट दरों पर न्यूनतम आवष्यक जगह में दिनांक–06–08–10 अथवा 07–08–10 के अंक में प्रकाषित कर, बिल दो प्रतियों में प्रकाषित सूचना के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भेजने का कश्ट करें।

1. अमर उजाला, आगरा / मेरठ / उत्तरांचल संस्करण
2. दैनिक जागरण, कानपुर / उत्तरांचल संस्करण
3. पंजाब केसरी, चंडीगढ़ संस्करण
4. हिन्दुस्तान (हिन्दी एवं अंग्रजी) दिल्ली संस्करण
5. टाईम्स आफ इण्डिया (अंग्रजी), दिल्ली संस्करण

भवदीय,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0 क्षे0)
उत्तरांचल वन विकास निगम

....

....

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0), उत्तरांचल वन विकास निगम, हल्द्वानी

पत्रांकः 1957 / खैर निविदा प्रकाषन / दिनांक–05 / 08 / 2010

खैर प्रकाश्ठ विक्रय हेतु निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) के अधीन विपणन प्रभाग, हल्द्वानी एवं टनकपुर अधीन डिपुओं में उत्पादन वर्श 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 (दिनांक–31–03–2010 तक डिपो में प्राप्त) के लगभग 21000 घ0मी0 विभिन्न श्रेणी एवं गोलाई के खैर प्रकाश्ठ के बिक्रय हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक–26–08–10 के अपरान्ह 2:00 बजे तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / कोरियर द्वारा कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0), उत्तरांचल वन विकास निगम, गैस गोदाम रोड, गॉधी फार्म, कुसुमखेड़ा हल्द्वानी, जिला–नैनीताल के पते पर आमन्त्रित की जाती हैं जो उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष प्रबन्ध निदेषक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून द्वारा गठित समिति द्वारा उक्त कार्यालय में खोले जायेंगे। प्रत्येक निविदा के साथ निविदा मूल्य के 2ण्50ः की दर से नेक जमानत का ड्राफ्ट निविदा षर्तों के अनुरूप जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म, निविदा की षर्तें एवं विक्रय सूची दिनांक–06–08–10 से किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय विपणन प्रबन्धक कार्यालय, हल्द्वानी एवं टनकपुर स्थित कार्यालयों एवं लालकुऑ / टनकपुर / खटीमा डिपुओं से दिनांक–23–08–10 के सायं 5:00 बजे तक निःषुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। विस्तृत जानकारी सम्बन्धित विपणन प्रभागों में उनके कार्यालय दूरभाश एवं मोबाइल नम्बरों से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, हल्द्वानी 05946–254351 मोबाइल– +919568003218

प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, टनकपुर 05943–265283 मोबाइल– +919568003219

नोट– विक्रय सूची, निविदा फार्म एवं निविदा की षर्तें उत्तरांचल वन विकास निगम की वेवसाईट ूनंकिबण्पद पर भी उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0 क्षे0)
उत्तरांचल वन विकास निगम

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0), उत्तरांचल वन विकास निगम, हल्द्वानी

पत्रांकः 1957 / खैर निविदा प्रकाषन / दिनांक–05 / 08 / 2010

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. प्रबन्ध निदेषक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून को आपके कार्यालय के पत्रांक–वि 1909 / 16–1–1 / खैर दिनांक–9–7–10 के क्रम में।
2. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम, रामनगर / कोटद्वार / देहरादून।
4. प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम, हल्द्वानी / टनकपुर को इस आषय से प्रेशित कि खैर प्रकाश्ठ से सम्बन्धित क्रेताओं को अपने स्तर से पत्र / दूरभाश / ई–मेल आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

   प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, हल्द्वानी सभी खैर प्रकाश्ठ के उपयोग / क्रय से सम्बन्धित फर्मों को दोनों विपणन प्रभागों की विक्रय सूची आदि डाक के माध्यम से भी भिजवायेंगे।

5. प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, रामनगर, कोटद्वार एवं देहरादून को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक।

क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0 क्षे0)
उत्तरांचल वन विकास निगम
हल्द्वानी।

निविदा प्रपत्र

उत्तरांचल वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी

क्रम सं0	डिपो का नाम	जाब/लौट सं0 (जिसकी निविदा दी जा रही है)	निविदा मूल्य		निविदा मूल्य का 2. 50 प्रतिषत नेक जमानत राषि
			अंकों में	षब्दों में	

नोट– सम्पूर्ण जॉब (जिसमें दो या दो से अधिक लौट सम्मिलित की गयी हैं) कय करने वाले निविदादाता को
निविदा में वरीयता दी जायेगी।

<u>निविदा प्रपत्र</u>

<u>उत्तरांचल वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, टनकपुर</u>

कम सं0	डिपो का नाम	जाब/लौट सं0 (जिसकी निविदा दी जा रही है)	निविदा मूल्य		निविदा मूल्य का 2.50 प्रतिषत नेक जमानत
			अंकों में	षब्दों में	

					राषि

नोट– सम्पूर्ण जॉब (जिसमें दो या दो से अधिक लौट सम्मिलित की गयी हैं) क्रय करने वाले निविदादाता को निविदा में वरीयता दी जायेगी।